राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

विज्ञापन संख्याः प0/01–2016/1134 दिनांकः 14/07/2016

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित उक्त नियमों के अन्तर्गत, निम्नांकित सीधी भर्ती के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा, 2016 के माध्यम से नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

(1) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
(2) कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता

1– **पदों की संख्याः–**

1.1 पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:–

पद	भरे जाने वाले कुल पद	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		विशेष पिछड़ा वर्ग		विशेष योग्यजन
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	10	5	2	-	-	1	-	2	-	-	-	1
कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	25	9	2 1W	3	1	3	-	4	1	1	-	1

संक्षिप्ताक्षर : W-विधवा

नोटः 1– महिला, विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।

2– मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है इसके लिए अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

3– आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है, इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के सम्बन्ध में राज्य मण्डल को संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

4– ऑनलाईन आवेदन फार्म (On Line Application Form) में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5– आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य मण्डल के नियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2– **आरक्षण के प्रावधानः–**

2.1 विभिन्न आरक्षित वर्ग यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, महिला, विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिला इत्यादि को आरक्षण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993, समय–समय पर उक्त संशोधित नियमों, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर

जारी किये गये नियम, दिशा–निर्देश, आदेश, परिपत्र इत्यादि में किये गये प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा ।

2.2 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17–01–2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षो की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रेनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

2.3 राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार प्रकिया से भरा जाएगा। राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।

विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः प07(2)डीओपी/ए–II/2015–(1) दिनांकः 16–10–2015 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलियर) को 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

2.4 मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

2.5 महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः प07(2)कार्मिक/क–2/88 पार्ट–I दिनांकः 22–12–2015 के अनुसार दिया जायेगा।

2.6 महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.7 विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि. पि.व.) का नॉन क्रीमीलियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

2.8 मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत् महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला को इस सम्बन्ध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक नामे की डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।

2.9 कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04–03–2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होगें जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

2.10 राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।

2.11 राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता हैः–

1.BLV (Blind Low Vision)
2.HI (Hearing Impairment)
3. LD&CP (Locomotor Disability & Cerebral Palsy)
O.L. -one leg affected (R or L)
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) at axis
B.L. -Both legs affected but not arms
OA- One Arm

2.12 विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

2.13 उपरोक्त दर्शाये गए विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जायेगा।

2.14 विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आवेदक On line application form में यथा स्थान अपने वर्ग एवं निःशक्तजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

2.15 ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) की श्रेणी में आते हैं अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त स्थाई निःशक्तजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में निःशक्तजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तजन का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तजन का होने पर ही अभ्यर्थी को निःशक्तजन व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

3– वेतनमान व अन्य सुविधाएंः–

3.1 वेतनमान रनिंग पे बैंड पदवार निम्नानुसार हैः–

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	9300–34800	ग्रेड पे 4800
कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	9300–34800	ग्रेड पे 3600

3.2 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम), 2008 के नियम 21 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परिवीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से मासिक पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प.01 (2)एफडी/रूल्स/06 दिनांकः 13–03–2006 के अनुसार वेतन–भत्ते देय होगें। पद का विज्ञापन में अन्यत्र

यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

4— पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:

Junior Scientific Officer	First Class Master's Degree in any branch of Chemistry or Soil Science or Environmental Science or Microbiology, from an University established by law in India or a foreign qualification recognized as equivalent thereto
Junior Environmental Engineer	Master's degree in Environmental Engineering after bachelor's degree either in Bio-Technology or Chemical or Civil or Mining or Environmenal or Textile Engineering from an University established by law in India or a foreign qualification recognized as equivalent thereto. Or First Class Bachelor's Degree in any of the above branches of Engineering from an University established by law in India or a foreign qualification recognized as equivalent thereto.

स्पष्टीकरण—(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि वे अभ्यर्थी, जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये है, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(ii)देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

5— राष्ट्रीयता:— सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1—1—62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या

(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, यूगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टगानिका और जजीबार, जाम्बिया, मलाबाई, जैर तथा ईथोपिया) से भारत आया है।

नोट:—वर्ग (ख),(ग),(घ) व (ड़) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6— आयु:—

6.1 आवेदक 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक: प07(6) कार्मिक/क—II/2008 दिनांक: 23—09—2008 के कम में जारी अधिसूचना के अनुसार— जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र. माना जायेगा किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण— मण्डल द्वारा वर्ष 2011 में इन पदों की विज्ञापित किए जाकर उनके आयु सीमा की गणना 01—01—2012 को की गई थी तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया । अत: उक्त प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देय होगी।

6.2 उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:–
आयु सीमा में छूट के प्रावधान

(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामलें में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामलें में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

6.3 राजस्थान राज्य सेवा में संस्थाई (Substantive) तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए 40 वर्ष होगी।

6.4 विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण–विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी को अपने पति की मत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विच्छिन्न महिला के मामलें में विवाह विच्छेद की डिक्री/न्यायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.5 राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों को निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पुनर्भागीदारी नियम, 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण का सम्मिलित करते हुए उपयुक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी:–

1–सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

2–पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष

3–अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों को 15 वर्ष

6.6 उपरोक्त आयु सम्बन्धी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान किसी भी एक प्रावधान "Non Cumulative" का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधान को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7– नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–

7.1 किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा।

7.2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा।

7.3 किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिशेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है ।

7.4 राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/मण्डल द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।

7.5 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती:–

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

7.6 ऐसे अभ्यर्थी जो धुम्रपान एवं गुटखा सेवन करते हैं वे नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

8– राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी:–

8.1 ऐसे आवेदक चाहे वह पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हो या इसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, आवेदन मण्डल को सीधे ही ऑनलाईन भेजने चाहिए। मण्डल द्वारा अंतिम दिनांक के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे, भले ही आवेदक द्वारा नियोक्ता को अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया हो।

8.2 जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा मण्डल को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति नहीं दिये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से रद्द की जा सकती है।

9– विवाह पंजीयन:–

राज्य सरकार के परिपत्र कमांक: प06(19)गृह–13/2006 दिनांक: 22–05–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

10– ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया:–

10.1 आवेदन On Line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना लें एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले राज्य मण्डल की वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ पर जाकर Recruitment पर Click करेगा। सम्बंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा, जिसमें ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र अपने स्वयं के E-Mitra ID एवं Password से Login कर Current Recruitment पर जाकर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो सीधे ही उसका SSO ID एवं password डालकर उसका आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरान्त उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप

से भरने के बाद Application Preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप से देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी एवं आवेदन भरने की रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।

10.2 अभ्यर्थी स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है। अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना लें एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर आवेदन भरते हैं तो सबसे पहले राज्य मण्डल की वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ पर जाकर Recruitment पर Click करें तथा सम्बंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click कर Login करे। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो वह सीधे ही अपना SSO ID एवं password डालकर अपना आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत नहीं है वे Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करायेंगे। पंजीयन के उपरान्त अपना SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। इसे पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर सम्बंधित परीक्षा के Apply now पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई–मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से राज्य मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोटः–

1. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन से भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को घ्यान पूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

3. कृपया ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति में दिये गये दिशा–निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।

10.3 परीक्षा शुल्क निम्नानुसार हैः–

अ	सामान्य वर्ग के आवेदक हेतु (जिसमें पिछड़ा वर्ग–क्रीमीलेयर के आवेदक व अद्योवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित है)	रूपये 700/–
ब	पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है	रूपये 600/–
स	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है	रूपये 500/–

10.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2016 से भरे जायेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2016 की रात्रि 12.00 तक भरे जा सकते हैं। इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

10.5 आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

11– आवेदन कैसे करें :–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं:–

कृपया ध्यान दें:–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व राज्य मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध **विस्तृत विज्ञापन** का गहनता से अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बंध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण रूप से भर दी गई है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करता हो। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग तथा अन्य पात्रता की समस्त शर्तें ऑनलाईन आवेदन की तिथि तक पूर्ण करना आवश्यक है। यदि आवेदक इस सम्बंध में ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना अंकित करता है, तो राज्य सरकार के नियमों एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने

वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें।

4. राज्य मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद इसमें सुधार हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र राज्य मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक राज्य मण्डल कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को राज्य मण्डल द्वारा अनंतिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ सम्बंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा। सम्बंधित विभाग या बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, विधवा, परितयक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर राज्य मण्डल द्वारा रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राज्य मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ पर उपलब्ध है।
7. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश**

(i) फोटो अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते है लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं उसकी साईज 3.5cm x 4.5cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240X340 एवं अधिकतम 480X640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(ii) हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी लम्बाई एवं 2 सेमी चौड़ाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक कॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जायेगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280X80 एवं अधिकतम पिक्सेल 560X160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12– प्रवेश पत्रः–

परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र राज्य मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से डाउन लोड किए जा सकेंगे। मण्डल द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना राज्य मण्डल की वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ पर जारी की जायेगी तथा यथासंभव अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर भी प्रेषित करने का प्रयास किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें।

13– परीक्षा की योजना (स्कीम) और पाठ्य विवरणः–

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (Junior Scientific Officer)

PART-A

Environmental Science.

This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal (NGT) Act, Pollution Indices.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India.

  Basic concept of EIA, EIS and EMP; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socio economic environment; Rapid and comprehensive EIA.

  Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and its amendments.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Analysis.

  Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and sewage, performance evaluation of waste water treatment system.

- Air and Noise Pollution.

  Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application; Effects on human health; Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries; Air pollution due to automobiles and emission control; Principles of measurements and equipment use for major parameters (Water/Air/Noise); Basics of noise pollution, measurement and management of noise and effects on human beings; Ambient Air Quality standards.

- Municipal solid waste, biomedical waste, e-waste, plastic waste and hazardous waste.

  Problems associated with solid waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle etc; Risk associated with hazardous waste & its assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, mathematics, reasoning and current affairs).

Examination Scheme:-

There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 2 marks each. The question paper will be in English.

JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER			
Question	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A Environmental Science	120	3 Hours	300
PART-B General Knowledge	030		
Note-(1) Each question will carry 2 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer.			

कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (Junior Environmental Engineer)

PART-A

Environmental Engineering.

This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal Act, Pollution Indices.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Engineering.

  Unit processes/operations related to water and waste water treatment, namely Equalization Coagulation; Flocculation; Settling; Filtration;

Disinfection; Aeration; Adsorption etc.

Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and Sewage; Activated sludge process and its modifications; treatment ponds and aerated lagoons; Trickling filters; Rotating biological contactors; Sequencing batch reactor and membrane bio reactor.

Anaerobic digestion; Anaerobic filter and UASB, Nitrification & De-nitrification.

Characteristics and treatment of waste from textile, tannery, Dairy, Distillery.

- Air and Noise Pollution.

  Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, Effects on human health; Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries; Air pollution due to Automobiles and emission control; Basic of noise pollution, Measurement and management of noise. Permissible noise levels in different zones, Effects of noise on human beings; Ambient Air Quality standards.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India.

  Basic Concept of EIA, EIS and EMP; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive EIAS.

  Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and its amendments.

- Municipal Solid waste, Biomedical waste, e-waste, plastic waste and Hazardous Waste.

  Problems associated with solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation; classification; characterization; analysis; Onsite Collection Handling, storage Transport and Processing of solid waste; Recovery of Resources, Conversion into Products and Energy generation from solid waste. Hazardous waste definition; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, mathematics, reasoning and current affairs).

Examination Scheme:-

There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 2 marks each. The question paper will be in English.

JUNIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER			
Question	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A Environmental Engineering	120	3 Hours	300
PART-B General Knowledge	030		
Note-(1) Each question will carry 2 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer.			

13.2 मण्डल द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

14— परीक्षा दिनांक एवं स्थानः—

लिखित परीक्षा दिनांक 16.10.2016 को एक सत्र में आयोजित की जायेगी। प्रश्न पत्र का समय प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा जयपुर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। राज्य मण्डल द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना राज्य मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से राज्य मण्डल की वेबसाईट देखते रहें।

15— परीक्षा सम्बन्धी विशेष अनुदेशः—

15.1 आवेदक को आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश, पदों की संख्या में बदलाव, परीक्षा हेतु पात्रता, पात्रता की जांच संबंधी दिनांक/समय/विवरण, परीक्षा योजना (स्कीम), परीक्षा तिथि, परीक्षा परिणाम आदि एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। डाक द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या अपडेट के लिए अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ देखते रहें। उक्त सुविधाएं एवं सूचनाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है, उसे वेबसाईट पर प्राप्त करने/देखने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी यदि किसी कारणवश ऐसी सूचना वेबसाईट से प्राप्त करने से वंचित रहता है अथवा प्राप्त नहीं करता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

15.2 परीक्षा आयोजन के उपरान्त मण्डल द्वारा नियमानुसार उत्तर कुंजी (Answer-key) वेबसाइट पर जारी की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो उसे राज्य मण्डल को वेबसाईट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

15.3 परीक्षार्थी को मण्डल/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना

होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध मण्डल/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

15.4 यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर विज्ञापित पद कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।

15.5 आवेदक की आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जावेगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति देने के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

15.6 निरस्त किए गए आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लें।

15.7 आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा–भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

15.8 परीक्षा से सम्बन्धित दिशा–निर्देश हॉल टिकट के साथ जारी किये जायेंगे। जिन्हें राज्य मण्डल की वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

विशेष टिप्पणीः–

1. परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घंटे के भीतर अपना अभ्यावेदन/शिकायत राज्य मण्डल की वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/ content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html/ के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर राज्य मण्डल द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर राज्य मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाएं रखें।
3. परीक्षा केन्द्र में कैलकुलेटर, मोबाईल, डिजिटल यंत्र, डिजिटल घड़ी, ब्लूटूथ, वाई–फाई यंत्र, पुस्तक, नोट, पन्ने, टोपी, हैट, गॉगल्स, पर्स, बैग, पैन्सिल बॉक्स, सभी प्रकार के धातुय वस्तुएं, गहने, अंगूठी, ब्रैसलेट, ताबीज इत्यादि वस्तुओं को साथ में लाने की अनुमति नहीं है ।
4. परीक्षार्थी 2.5x2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है।
5. परीक्षार्थी अपने साथ एक पारदर्शी पानी की बोतल एवं एनलॉग कलाई घड़ी अपने साथ परीक्षा केन्द्र में ला सकते है परन्तु परीक्षार्थी को इस कलाई घड़ी को परीक्षा के दौरान टेबिल पर ही रखनी होगी।

6. परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

16– श्रुत लेखन की सुविधाः–

16.1 सामान्यता सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन {नैत्र हीन(Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता} या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता) ऐसे परीक्षार्थी जो स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, को परीक्षा में श्रुत लेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुत लेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित मण्डल को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुत लेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी प्रस्तुत करें।

16.2 परीक्षा की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही श्रुत लेखक की नियुक्ति हेतु अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जो निम्न प्रकार से है (केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि श्रुत लेखक की योग्यता परीक्षार्थी की निर्धारित योग्यता से अधिक ना हो):–

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित योग्यता	श्रुत लेखक की योग्यता
(अ) स्नातकोत्तर उपाधि	स्नातक
(ब) स्नातक उपाधि	द्वितीय वर्ष स्नातक

17– प्रमाण पत्रों का सत्यापनः–

आवेदकों के वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन), शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी एवं अन्य सम्बंधित समस्त प्रमाण पत्रों की जांच परीक्षा में अनंतिम (Provisional) रूप से चयनित घोषित होने पर की जावेगी।

अतः यह सुनिश्चित कर लें किः–

(1) जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(2) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं कीमीलेयर/नॉन कीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन का जाति, मूल निवास, विकलांगता व अन्य प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुये प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म प्रस्तुत करते समय पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते है तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बंध में

किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

(5) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। पति की आय के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

(7) विशेष योग्यजन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का आवश्यक उल्लेख हो जो कि On line Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

(8) यदि किसी आवेदक ने गलत आरक्षण श्रेणी/सूचना अंकित की है, तो मण्डल द्वारा आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उसकी परीक्षा एवं अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

18– <u>विशेषः–</u> उपरोक्त समस्त नियम, विधिक प्रावधान, वेतनमान् व अन्य सुविधाएं, शैक्षणिक योग्यता, आयु, नियुक्ति के लिए अयोग्यता, परीक्षा की योजना इत्यादि राजकीय नियमों के आधार पर अवधारित किये गये हैं। किसी भी प्रकार का संशय या त्रुटि होने पर राजकीय नियम मान्य होंगें।

(के॰सी॰ए॰ अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल